संख्या-**21/5410/12-3-2013-100(63)/2013**

प्रेषक,

देवाशीष पण्डा**,**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त**,** उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी**,** उत्तर प्रदेश।
3. कृषि निदेशक**,** उत्तर प्रदेश**,** लखनऊ।

कृषि अनुभाग**-3** लखनऊ**:** दिनांक**: 17** दिसम्बर**, 2013**

विषय- कृषि विभाग द्वारा संचालित भूमि एवं जल संरक्षण की योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली संरचनाओं के निर्माण, कम्पेक्शन, समतलीकरण के कार्यो का सम्पादन ट्रैक्टर/जे.सी.बी./अन्य मशीनों के स्थान पर स्थानीय मजदूरों से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृषि विभाग द्वारा संचालित भूमि एवं जल संरक्षण की योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली विभिन्न संरचनाओं के निर्माण का कार्य स्थानीय मजदूरों से कराये जाने की व्यवस्था विगत वर्षो से रही है। उक्त का एक मुख्य कारण यह है कि स्थानीय मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। उक्त के कारण भूमि संरक्षण के कार्यो में मशीनरी के प्रयोग के संबंध में शासन द्वारा कोई औपचारिक आदेश निर्गत नही किये गये है।

2- विभिन्न रबी गोष्ठियों, बैठकों तथा मण्डलीय/जनपदीय निरीक्षणों में यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भूमि संरक्षण के समस्त कार्यो के सम्पादन हेतु मशीनरी (ट्रैरक्टर/जे.सी.बी.) आदि का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे स्थानीय मजदूर रोजगार के अतिरिक्त अवसर से वंचित हो जा रहे हैं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि:-

1. कृषि विभाग द्वारा संचालित भूमि एवं जल संरक्षण की योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली संरचनाओं के निर्माण, कम्पेक्शन, समतलीकरण के कार्यो का सम्पादन ट्रैक्टर/जे.सी.बी./अन्य मशीनों के स्थान पर स्थानीय मजदूरों से ही कराया जाय, यदि स्थानीय स्तर पर मजदूरों के उपलब्ध होने में कठिनाई हो तो उक्त तथ्य जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए यथा निर्देश अगे्रतर कार्यवाही की जाय।
2. समस्याग्रस्त क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा भूमि संरक्षण की संरचनाओं के स्थायित्व (durability) को दृष्टिगत रखते हुए व्यवहारिक/तकनीकी रूप से जिन कार्यो के सम्पादन हेतु मशीनों (ट्रैरक्टर/जे.सी.बी.) आदि का प्रयोग किया जाना अपरिहार्य हो तो

http://shasanadesh.up.nic.in

ऐसे कार्यो हेतु पूर्ण औचित्य बताते हुए संबंधित जिलाधिकारी की पृथक से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही की जाय।

4- कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(देवाशीष पण्डा **)**
प्रमुख सचिव।

संख्या-5410(1)/12-3-2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) कृषि भवन, लखनऊ।
2- संयुक्त कृषि निदेशक (राष्ट्रीय जलागम/बाढ़ोन्मुखी नदी योजना) कृषि भवन, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- उप कृषि निदेशक (टी.ए.सी.) कृषि भवन, लखनऊ।
5- समस्त उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- कृषि अनुभाग-1/4
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(देवाशीष पण्डा **)**
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in